# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | रजि0नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/37/2012 | 2012/00006 | 9-10-2012 | 03-07-2024 |

01—अमीर खां पुत्र सुरजन खा मृतक।
02— सम्मीर खां पुत्र अमीर खां जाति मेव।
03— रूस्तम पुत्र अमीरखां जाति मेव।
04— यासीन पुत्र अमीर खां जाति मेव।
05— नसीब खां पुत्र अमीर खां निवासीयान मूंगसका (मृतक)
5/1 जियाउलहक पुत्र स्व0 नसीब जाति मेंव निवासी मूंगसका।
5/2 वजादअली पुत्र स्व0 नसीब खां जाति मेव निवासी मूंगसका।
5/3 इन्जमाम पुत्र स्व0 नसीब खां जाति मेव निवासी मूंगसका तहसील व जिला अलवर।
5/4 साजिदा पत्नी महमदखां पुत्री स्व0 नसीब खां जाति मेव।
5/5 हरूनी पत्नी नब्बू पुत्री स्व0 नसीब खां जाति मेव।
5/6 फरमीना पत्नी याकूब पुत्री स्व0 श्री नसीब खां जाति मेव निवासीयान मंगलीकाबास, कारौली तहसील व जिला अवलर (राज0)।
5/7 जायदा पत्नी नसीम पुत्री स्व0 नसीब खां जाति मेव।
5/8 सहनाज पत्नी सद्दाम पुत्री स्व0 नसीब खां जाति निवासीयान हाजीकाबास, मांचा तहसील किशनगढबास।
5/9 बसगर पत्नी आमीर सौहेल पुत्री स्व0 नसीब खां जाति मेव निवासी कृष्णा कॉलोनी, खेडी रोड, रामगढ तहसील रामगढ जिला अलवर (राज)।

—अपीलाण्टस

बनाम

01--चिम्मन पुत्र हीरालाल जाति चमार (मृतक)
1/1—जुम्मी पत्नि स्व0 चिम्मन जाति चमार।
1/2 लालमन पुत्र स्व0 चिम्मन जाति मेव।
1/3 मानसिंह पुत्र स्व0 चिम्मन जाति मेव।
1/4धन सिंह पुत्र स्व0 चिम्मन जाति चमार निवासीयान बामनीखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर।।
1/5 विमला पुत्री स्व0 श्री चिम्मन पत्नी कर्ण जाति जाटव निवासी लहरवाडा तहसील नगर जिला भरतपुर (राज)
1/6 केशन्ता पुत्री स्व0 चिम्मन पत्नी प्रकाश जाति जाटव निवासी तेहडपुर (जाटव) तहसील व जिला अलवर।
02— पांच्या पुत्र रामचन्द्र जाति चमार (मृतक)
2/1रामखिलाडी पुत्र स्व0 पांच्या जाति चमार
2/2 पप्पू पुत्र स्व0 पांच्या जाति चमार
3/3 रामप्रसाद पुत्र स्व0 पांच्या जाति चमार निवासीयान मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर (राज0)।
3— लल्लूराम पुत्र रामचन्द्र जाति चमार निवासीयान बामनीखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

—रेस्पौडेन्टस

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढदिनांक 27.07.2012प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्त. अधिनियम प्रकरण संख्या 08/2011

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उपस्थितः—

01—श्री देवन्द्र कुमार जैन । —वकील अपीलाण्टस

02—श्री धारा सिंह । —वकील रेस्पोडेन्टस

**निर्णय**

अपीलान्टस ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.07.2012 प्रकरण संख्या 08/2011 निवासी मेवखेडा तहसील रामगढ जिला अलवर के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है निर्णय दिनांक 27.07.2012 प्रकरण संख्या 08/14.10.11 बअनुवान प्रार्थना—पत्र चिम्मन वगैरा बनाम अमीर खॉ वगैरा विधि विरूद्ध न्यायिक प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलान्टस को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2012 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.08.2012 को हुई जब कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) रामगढ की न्यायालय में अमीर खॉ बनाम धनपाल वगैरा के दावा स्थाई निषेधाज्ञा में धनपाल ने प्रार्थना पत्र के साथ अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल प्रस्तुत की और अपीलान्टस वकील ने उसको पढकर बताया। कि न्यायालय तहसीलदार से आपके खिलाफ आराजी ख.नं. 836 वाके ग्राम मेवखेडा के बाबत बेदखली का आदेश दिया गया है। कि उसके पश्चात् दिनांक 28.08.2012 से दिनांक 23.09.2012 तक अपीलांटस ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त कराने के लिए अलवर में वकीलों से कानूनी राय तो उन्होने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील करने की सलाह दी तो दिनांक 24.09.2012 को अपीलान्टस ने अधिनस्थ न्यायालय में निर्णय की नकल लेने का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया जो नक़ल अपीलान्टस को दिनांक 27.09.2012 को सायंकाल प्राप्त हुई, दिनांक 28.09.2012 को अपीलान्टस ने अपील करने के लिए खर्चे का इंतजाम किया तथा दिनांक 29—30 सितम्बर 2012 का अवकाश होने के कारण आज दिनांक 01.10.2012 को यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.08.2012 को होने के कारण अन्दर अवधि प्रस्तुत है दिनांक 27.07.2012 से दिनांक 27.08.2012 तक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलान्टस को जानकारी नही होने के कारण व्यक्ति हुआ है। को माफ करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना—पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाये तथा अपील को अन्दर अवधि मियाद शुमार किया जाये। अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय अपीलान्टस को सुना बिना अपीलान्टस की इकतरफा में प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए पारित किया है जो इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी ख.नं. 836 रकबा 1.52 हैक0 वाके मेवखेडा तहसील रामगढ अपीलान्टस के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, जिसका लगान अपीलान्टस अर्सेदराज से अदा करते आ रहे है। उपरोक्त आराजी से रेस्पोडेन्टस का कोई संबंध वो सरोकार नही है। अपीलान्टस ने आराजी ख.नं. 836 में बोर किया हुआ है जिसको प्राप्त करने के लिए रेस्पोडेन्टस ने अधिनियम न्यायालय में गलत तथ्यों के अधार पर प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया तथा अपीलान्टस के खिलाफ बेदखली का आदेश प्राप्त किया है। जो गैरकानूनी है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का मेवखेडा एवं अन्य पटवारियान की रिपोर्ट पैमाइश गलत है तथा अपीलान्टस की इकतरफा में की गई है वक्त पैमाइश एवं निशांदेही अपीलान्टस को तलब नही किया गया और ना ही वक्त पैमाइश एवं निशांदेही दिनांक 25.01.2012 को अपीलान्टस अपनी आराजी पर उपस्थित थे। रिपोर्ट रेस्पोडेंटस से मिलकर पटवारियों द्वारा गलत की गई है। रेस्पोडेंटस ख.नं. 834 वाके मेवखेडा पर गैरकाबिज व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 183 (बी) राज.काश्त. अधि0. के प्रावधानों का सही तरीके से अवलोकन व उच्चारण नही किया है, तथा मनमाने तरीके से खिलाफ कानून अपना निर्णय पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अन्य उज्रात

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अपील वक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेंगे। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जारक अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ का निर्णय दिनांक 27.07.2012 प्र.स.8/14.10.11 निरस्त फरमाया जाये। वकील अपीलान्टस द्वारा 1985 आर.आर.डी. 446, 2024 (1) आर.आर.टी. 375–376, 1998 आर.आर.डी 319,1989 आर.आर.डी. 45 पेश की गई है।

वकील रैस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र लगाया गया है। अपीलान्टस द्वारा अवधिपार अपील पेश कि है। अपीलान्टस द्वारा यह कहा गया है, कि सिविल कोर्ट को जानकारी होने पर अपील पेश की है जब कि अपीलान्टस को प्रारम्भ से ही जानकारी थी। रात्रि में हमारे खेत ख.नं0 834 में बोर सामान पटका गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रवाली अनुसार प्रार्थना–पत्र 183 (बी) में दर्ज था। मौका रिपोर्ट मांगी गई। उस मौका रिपोर्ट मे दर्ज किया गया कि उक्त विवादित आराजी में फसल खडी है। टीम गठित की गई। फसल होने के कारण पैमाईश नही हुई बाद मे टीम द्वारा पैमाईश की गई। दोनो पक्षकारो सहमति से रिपोर्ट तैयार कि गई। अपीलान्टस द्वारा मेरी सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा नही किया गया था। केवल दो जरीब तीन गठ्ठे पर ही कब्जा किया था। अपीलान्टस का बोर का दावा सिविल कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है। उपखण्ड अधिकारी रामगढ उक्त आराजी पर स्थगन आज भी जारी है। प्रार्थना–पत्र दफ़ा 5 मियाद अधिनियम खारिज फरमाया जावे। अपील अपीलान्टस खारिज फरमाई जावे। रैस्पोडेन्टस द्वारा आर.आर.डी. 2007 पेज 446 पेश किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्टस द्वारा रैस्पो0 कि आराजी पर नाजायज अतिक्रमण कर गौर करने कि कोशिश कि गई। आराजी खसरा न0 834 रकबा 1.77 हैक0 वाके ग्राम मेवखेडा रैस्पो0 कि खातेदारी आराजी है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 25.01.2012 से स्पष्ट है कि मौके पर ख0न0 834 का पूर्वी दिक्षीण कोना दो जरीब तीन गठ्ठा ख0न0 836 मे मिला हुआ है। जिस पर बोरिंग किया हुआ है। अपीलांटस द्वारा अनुसूचित जाति के रैस्पोडेन्टस की आराजी जबरन कब्जा कर बोर किया हुआ है। रैस्पडेन्टस कि कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 834 रकबा 1.77 हैक0 मे से अपीलान्टस द्वारा दो जरिब तीन गठ्ठा पर कब्जा कर अपनी आराजी ख0न0 836 मे मिलाया हुआ है। अतः उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टस द्वारा अनुसूचित जाति के रैस्पोण्टस की आराजी पर जबरन कब्जा किया गया है। जिसे बेदखल करना कानून सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय उचित है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलान्टस खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.07.2012 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

**निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)